

पटवारी रिपोर्ट

श्रीमानजी, प.प्र. खानपुरा के राजस्व खाता नं. 33 में खातेदार अरफ दज है जो की नाम अरफ है। खातेदार का नाम विरासत का नाम अरफ है जो की दोज या परन्तु वर्तमान में जमानदी में नाम अरफ परन्तु खानपुरा में दज है जो की अतः नाम अरफ कर अरफ परन्तु खानपुरा में नाम अरफ उचित होगा।

प.प्र. खानपुरा

भू अभिलेख निरीक्षक की जाँच रिपोर्ट

श्रीमानजी, भू अभिलेख रिपोर्ट के तहत लेखान आधार, 1914 पर सरपंच प्रिन्सिपल व पटवारी नसीराबाद द्वारा खानपुरा अरफ व अशरफ एक ही है। रिपोर्ट में अरफ पाले काबुली के खाते पर अशरफ पाले काबुली नाम अरफ के रिपोर्ट प्रस्तुत है।

तहसीलदार की रिपोर्ट

भू अभिलेख रिपोर्ट पटवारी अरफ (चीकुर मिय)

तहसीलदार (प.प्र.) नसीराबाद

2025

817

क्रमांक/491

प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"

दिनांक:- 19/12/25

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू अभिलेख निरीक्षक की जाँच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशांषा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खानपुरा तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत् 2072-75 के खाता संख्या 83 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.स.	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
1.	अरफ पाले काबुली शेष खसरा	किता 02	0.21	अशरफ पाले काबुली शेष खसरा	किता 02	0.21

क्रमांक:- 6522-23

दिनांक:- 19/12/25

उत्तिलिपि:- (1) तहसीलदार नसीराबाद को प्रेषित

(2) उपर्युक्त पत्रावली

प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद, जिला अजमेर